न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 159/2020(2020/00207)

अनवान : –

1. भालसिंह पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बिराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र बेगराज जाति ब्राह्मण निवासी बिराण तहसील भादरा।
2. रवीता देवी पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बिराण तहसील भादरा।
3. ललीता पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बिराण तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग वादी
श्री रोहिताश शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 21/12/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 102/92 के मुरब्बा न0 18 के किला न0 24/2 की 0.189 है0, किला न0 25/2 की 0.189 है0 मय खाला, मुरब्बा न0 22 के किला न0 1 की 0.253 है0 मुरब्बा न0 23 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मय खाला रास्ता कुल किता 12 की कुल 1.3275 है0 नहरी मय खाला रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा बेगराज की खातेदारी हुआ करती थी। बेगराज के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी सत्यनारायण ने कर्ता [illegible]तन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी सत्यनारायण ने अपने नाम से दर्ज [illegible]। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि [illegible] है जिसमें वादी का [illegible] हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रति[illegible] सत्यनारायण के [illegible] होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पीता प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण को वादी के दादा बेगराज से विरासतन प्राप्त हुई है। चक 4 एएमएस सम्वत 2045 के खाता संख्या 26/26, 27/27 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 वादी की बहिनें है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी भालसिंह पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बिराण के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में चक 4 एएमएस सम्वत 2073–76 खाता संख्या 102/92 प्रदर्श 1, चक 4 एएमएस जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2045 खाता संख्या 26/26 27/27 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत बिराण द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 4 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 102/92 के मुरब्बा न0 18 के किला न0 24/2 की 0.189 है0, किला न0 25/2 की 0.189 है0 मय खाला, मुरब्बा न0 22 के किला न0 1 की 0.253 है0 मुरब्बा न0 23 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मय रास्ता कुल किता 12 की कुल 1.3275 है0 नहरी मय खाला रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 102/92 के मुरब्बा न0 18 के किला न0 24/2 की 0.189 है0, किला न0 25/2 की 0.189 है0 मय खाला, मुरब्बा न0 22 के किला न0 1 की 0.253 है0 मुरब्बा न0 23 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मय खाला रास्ता कुल किता 12 की कुल 1.3275 है0 नहरी मय खाला रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी भालसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:26 IST
Reason: SelfAttested